30.12.2020 | वकील वादी उपस्थित। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील हस्ब फीता शाया रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.01.28 12:31:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज)
पीठासीन अधिकारी देवेन्द्रसिंह परमार आर.ए.एस
किस्म मुकदमा
धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.न.
14/2014

ता.रजू
26.03.2014

उनवान

1 सुशीला बेवा लड्डू
2 पृथ्वीराज } पिसरान लड्डू नाबालिग
3 सचिन } बविलायत माता सुशीला बेवा लड्डू
4 रीना पुत्री लड्डू
5 अमीना पुत्री लड्डू
6 पिंट्टा पुत्री लड्डू } नाबालिगान बविलायत
7 मोटी पुत्री लड्डू } माता सुशीला बेवा लड्डू

जातियान मालीयान निवासीयान महूँ तहसील व जिला करौली

——सायलान

बनाम

1 नारायण सिंह पुत्र मुकदमसिंह
2 अशोकसिंह पुत्र नारायण सिंह
3 ध्रुवसिंह पुत्र नारायणसिंह
4 वीरेन्द्रसिंह उर्फ पिन्टू पुत्र नारायणसिंह

जातियान राजपूत निवासीयान हरनगर हाल निवासी पुरानी ट्रकयूनियन करौली तहसील व जिला करौली —गैरसायलान

दिनांक 30.12 .2020

निर्णय

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1283/1 वाके ग्राम हरनगर (भीकमपुर) तहसील करौली जिला करौली सायलान के जेर खाता कब्जे की है जिसमे सायलान का 1/2 हिस्सा है बृजलाल सहखातेदार है।गैरसायलान का उक्त आराजी से किसी किस्म का सम्बन्ध व ताल्लुक नही है यह लडाकू किस्म के व्यक्ति है ऐन केन प्रकारेण सायलान के 1/2 हिस्से पर कब्जा करना चाहते है सायलान का पति व पिता करीब 4 साल पूर्व गुजर गये हमारा कच्चा व गरीब परिवार है इस कारण यह हमारी आराजी पर कब्जा कर हमे बेदखल करना चाहते है सायलान की जमीन के कुछ हिस्से मे लड्डू के समय के खण्डे पडे हुये है हम सालान के ही है दिनांक 16.3.2014 को होली के दिन गैरसायलान मौके पर आये तथा सायलान की जमीन के कुछ हिस्से मे पटिटया व कुछ हिस्से मे खण्डे डाल दिये सायलान ने हाथ जोडकर इस तरह की हरकत ना देने की कहा तो हमे जानसे मारने पर आमादा हो गये हमने राज्य व सरकार की दुहाई दी परन्तु यह कह दिया कि सारे कानून तो हमारे लटठ मे है हम तुम्हे बेदखल करेगे तथा गैरसायलान ने निर्माण करने की धमकी दी है। तब सायलान ने यह आवेदन पेश किया है। यदि दौराने दावा गैरसायलान को पाबंद नही किये गया तो सालयान को अपूर्णीय क्षति होगी। अन्त मे गैरसायलान को ताफैसला वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि खसरा नम्बर 1283/1 का रकबा 4 बीघा प्रार्थना पत्र मे दर्ज नही है परन्तु जमाबंदी मे दर्ज है। खसरा नम्बर 1283/1 का मूल खसरा नम्बर 1283 रकवा 34 बीघा 17 बिस्वा गैरमुमकिन डगरिया सिवायचक दर्ज है किन्तु खसरा नम्बर 1283/1 की मौके पर स्थिति स्पष्ट नही है उक्त खसरे का नक्शा ट्रेस मे तरमीम नही है। रकवा 4 बीघा मौके पर पहचान योग्य नही है। खसरा नम्बर 1283/1781 रकवा 5 बिस्वा बाबू लाल पुत्र फौसूराम जाति माली निवासी साकरा के खातेदारी मे दर्ज है। इस मे बाबूलाल की रिहायसी व वाणिज्यिक पाटोरपोश इमारत व खाली जमीन है। जो मौके पर पहचान योग्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.01.28 12:31:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हकों से सही है। जिसकी गिरदावरी के कॉलम नम्बर 3 मे यह तथ्य दर्ज है। इस नम्बर को गैरसायलान नम्बर 1 नारायणसिंह ने दिनांक 9.04.2015 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिफल राशि 9 लाख रूपये अदा कर खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है और गैरसायलान नम्बर 1 के हक मे नामान्तकरण हो कर इसके खातेदारी अंकन हो चुके है। एवं खसरा नम्बर 1283/1781 के पूर्व व पश्चिम मे गैरसायलान नम्बर 1 ता 4 की कब्जे की भूमि चली आ रही है जिससे सायलान का कोई सम्बन्ध नही रहा है। सायलान खसरा नम्बर 1283/1 के इन्द्राज जमाबंदी की आड़ मे चाहे जाह बदल बदल कर खसरा नम्बर 1283/1 का रकबा बताकर लोगो से झगडा करते आ रहे है और हम से भी झगडा कर रहे है। सायलान गैरसायलान के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अन्त मे प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील सायलान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील सायलान का बहस मे कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 1283/1 ग्राम हरनगर सायलान के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिससे गैरसायलान का किसी किस्म का सम्बन्ध नही है गैरसायलान लड़ाकू किस्म के व्यक्ति है। और सायलान के 1/2 हिस्से पर कब्जा कर सायलान को बेदखल करना चाहते है। दिनांक 16.03.2014 को गैरसायलान ने जमीन के कुछ हिस्से मे खण्डे व पटटीया डाल दी और निर्माण करने की भी धमकी दी सायलान के कब्जे काश्त मे व्यवधान करने की सायलान को जान से मारने की गैरसायलान ने धमकी दी है। जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है और सायलान के हको पर आघात है सायलान आराजी के खातेदार काश्तकार है गैरसायलान को ताफेसला वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

वकील गैरसायलान को बहस को काफी अवसर दिये जाने के उपरान्त भी दिनांक 10.11.2020 को वकील गैरसायलान बहस को उपस्थित नही हुये। जबाव गैरसायलान का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जबाव मे गैरसायलान द्वारा खसरा नम्बर 1283/1 के सम्बन्ध मे अपने खातेदारी होने बाबत या खरीद शुद्वा होने बाबत कथन नही किया है।

वहस वकील सायलान व गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत जबाव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एवं मनन किया गया। सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ जमाबदी सम्बत 2068 से 71 प्रस्तुत की है। जिसमे खसरा नम्बर 1283/1 रकबा 4 बीधा सायलान व बृजलाल पुत्र पल्लो के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है जिसमे सायलान का 1/2 हिस्सा है। इस प्रकार वाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1283/1 के 1/2 हिस्से के सायलान खातेदार काश्तकार है जिससे प्राईमाफेसी केस सायलान के पक्ष मे प्रतीत होता है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने मे सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति सायलान के पक्ष मे प्रतीत होता है। गैरसायलान को पाबंद किये जाने मे गैरसायलान को कोई अपूर्णीय क्षति व असुविधा नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र सायालन स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान विरूद्व गैरसायलान स्वीकार किया जाता है गैरसायलान को ताफैसला वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि व आराजी खसरा नम्बर 1283/1 रकबा 4 बीधा ग्राम हरनगर तहसील करौली के 1/2 हिस्से मे सायलान के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान न स्वयं पैदा करे ना किसी अन्य से करावे और वाद ग्रस्त भूमि मे कोई निर्माण कार्य न स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे।

निर्णय दिनांक 30.12.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.01.28 12:31:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with CamScanner